निदेशक, भू–अर्जन,बिहार द्वारा दिनांक–19.08.2013 को आयोजित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के साथ लैंड बैंक से संबंधित बैठक की कार्यवाही/समीक्षात्मक टिप्पणी।

उपस्थितिः–संलग्न।

1. कार्यालय विस्तार, आधारभूत संरचना, विकासात्मक एवं कल्याणकारी लोक प्रयोजन के लिए लैंड बैंक (Land Bank) योजना के तहत सभी जिला मुख्यालयों, अनुमंडल मुख्यालयों एवं प्रखंड मुख्यालयों हेतु क्रमशः 100.00 एकड़, 50.00 एकड़ एवं 30.00 एकड़ भूमि अर्जन/अधिग्रहण कार्रवाई की सभी पदाधिकारियों से अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में आई0 डी0 ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री अभिमन्यु सिंह उपस्थित हुए। बैठक में निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए–

कार्यवाही के विन्दु	जिला मुख्यालय	अनुमण्डल मुख्यालय	प्रखण्ड मुख्यालय
अर्जन हेतु लक्ष्य–	3800 एकड़	5050 एकड़	16,020 एकड़
राजस्व विभाग में प्राप्त प्रस्ताव/रकवा	38/3941.62	61/3941.43	287/8914.56
राजस्व विभाग से उद्योग विभाग में प्रेषित प्रस्ताव के अधीन रकवा–	तथैव	तथैव	तथैव
अनुगानित प्रस्तावित राशि उद्योग विभाग से प्रशासनिक स्वीकृत रकवा	28,04,64,85,317/– 388.28 एकड़ (बाँका, लखीसराय, सुपौल एवं अररिया)	39,53,95,48,746/– 100.00 एकड़ (बाँका–02 अनुमंडल)	1,00,17,52,52,424/ 169.93 एकड़ (समस्तीपुर–05, गोपालगंज–01)
जिला स्तर से आई0 डी0 ए0 को समर्पित अधियाचना प्रपत्र की सं0–	03 (अररिया, सुपौल एवं लखीसराय)		
उद्योग विभाग द्वारा जिला स्तर पर अधियाचना समर्पित रकवा–	100 एकड़ (सुपौल)		
जिला स्तर से धारा–4/6 के तहत प्रेषित प्रस्ताव–	100 एकड़ (समाहर्त्ता, सुपौल से आयुक्त, सहरसा प्रमंडल स्तर पर)		
आई0 डी0 ए0 द्वारा विमुक्त कुल राशि ₹47,98,74,000.00			

2. बैठक में कार्यालय विस्तार, आधारभूत संरचना, विकासात्मक एवं कल्याणकारी लोक प्रयोजन के लिए सभी जिला मुख्यालयों, अनुमंडल मुख्यालयों एवं प्रखंड मुख्यालयों में भूमि बैंक (Land Bank) योजना के तहत भूमि अर्जन/अधिग्रहण के विषय पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–19.03.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों के तहत कृत कार्रवाई की भी समीक्षा की गयी।

3. समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि जिला मुख्यालय हेतु लैंड बैंक योजना के तहत कुल–38 प्रस्ताव, अनुमण्डल मुख्यालय हेतु कुल–61 एवं प्रखण्ड मुख्यालय हेतु कुल–287 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट उपबंध की कार्रवाई हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को भेजा जा चुका है। इस संबंध में निर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–1915/रा0, दिनांक–26.07.2013, 1719/रा0, दिनांक–02.07.2013, 1509/रा0, दिनांक–18.06.2013 एवं 1324/रा0 दिनांक–22.05.2013 की प्रति आई0 डी0 ए0 के पदाधिकारी श्री अभिमन्यु सिंह को जानकारी हेतु हस्तगत कराया गया।

4. अबतक उद्योग विभाग द्वारा अपने राज्यादेश ज्ञापांक–1914 दिनांक–26.04.2013 द्वारा कुल 06 जिला से संबंधित जिला मुख्यालय/अनुमण्डल मुख्यालय एवं प्रखण्ड मुख्यालय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने की कार्रवाई की गयी है, जिसके लिए आई0 डी0 ए0 द्वारा अपने विभिन्न पत्रों से आंशिक राशि संबंधित समाहर्त्ताओ को चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। इस संबंध में उद्योग विभाग के स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट उपबंध की कार्रवाई में तेजी लाने की आवश्यकता बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा बतायी गयी। प्रतिवेदनानुसार अभी तक आई0 डी0 ए0 के द्वारा **₹47,98,74,000** की राशि समाहर्त्ताओं को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

5. बैठक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि जिला मुख्यालय हेतु मौजा–चैनसिंहपट्टी का भू–अर्जन अधिनियम की धारा–4/6 के तहत प्रस्ताव गठित कर जिला स्तर से प्रमण्डलीय आयुक्त स्तर पर भेज दिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 03 अनुमण्डल मुख्यालयों यथा– वीरपुर, निर्मली एवं त्रिवेणीगंज के लिये अधियाचना प्रपत्र छः प्रतियों में संधारित कर आई0 डी0 ए0 को उपलब्ध करा दिया गया है।

6. बैठक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि जिला मुख्यालय हेतु मौजा–हरियाबारा का अधियाचना प्रपत्र छः प्रतियों में संधारित कर आई0 डी0 ए0 को उपलब्ध करा दिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उद्योग विभाग से अधियाचना प्राप्त होने के उपरांत अधिनियम की धारा–4/6 के तहत प्रस्ताव गठित कर जिला स्तर से प्रमण्डलीय आयुक्त स्तर पर शीघ्र भेज दिया जायेगा।

7. बैठक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि जिला मुख्यालय हेतु मौजा–संदलपुर में 100.00 एकड़ भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई कर ली गयी है। इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

8. बैठक में निदेशक, भू–अर्जन के द्वारा यह बताया गया कि जिस जिला को लैंड बैंक योजना के तहत आई0 डी0 ए0 से राशि उपलब्ध करा दिया गया है, वहाँ के जिला भू–अर्जन पदाधिकारी अबिलम्ब अधियाचना प्रपत्र छः प्रतियों में संधारित कर आई0 डी0 ए0 को विशेष दूत से उपलब्ध करा देंगे तथा इसकी सूचना भू–अर्जन निदेशालय को भी देंगे। इस संबंध में यह भी निदेश दिया गया कि लैंड बैंक के तहत सभी कार्रवाई त्वरित गति से की जाय। इसमें किसी भी स्तर पर विलम्ब नहीं की जानी चाहिये।

9. बैठक में आई0 डी0 ए0 के पदाधिकारी के द्वारा यह भी बताया गया कि अन्य सभी जिले भी लैंड बैंक योजना के तहत अधियाचना प्रपत्र को छः प्रतियों में तैयार कर आई0 डी0 ए0 को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करे ताकि प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध करायी जा सके।

10. लैंड बैंक योजना के अधीन प्रस्तावित सरकारी भूमि के हस्तान्नतरण के प्रस्ताव को संबंधित समाहर्त्ता विधिवत प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि उसके हस्तानान्तरण की कार्रवाई भी साथ–साथ हो सके।

11. बैठक में सभी पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया कि पूर्व में इस विषय पर उच्चस्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप सर्वप्रथम जिला स्तर पर लैंड बैंक योजना के तहत 100.00 एकड़ भूमि अर्जन/अधिग्रहण की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी है।

सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

ह0/–
(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक भू–अर्जन।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक:–14 / डी0एल0ए0–लैंड बैंक(कार्यालय विस्तार)–151 / 2013–2245 रा0, पटना–15, दिनांक– 12-09-13

प्रतिलिपि–सभी समाहर्त्ता / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/9/13

निदेशक, भू–अर्जन।

ज्ञापांक:–14 / डी0एल0ए0–लैंड बैंक(कार्यालय विस्तार)–151 / 2013–2245/ रा0, पटना–15, दिनांक– 12-09-13

प्रतिलिपि–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/9/13

निदेशक, भू–अर्जन।